[redacted]सं. डी. (डी.)-72 Registered No. D(D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1980/भाद्र 14, 1902
No. 271] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1980/BHADRA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

सा०का०नि० 518 (अ).—दिनांक 5 सितम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 484 (ङ) की अनुवृत्ति में, तथा भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की दिनांक 24 जून, 1975 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 343(ङ) के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294कक की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड की यह राय होते हुये कि नीचे वर्णित सामग्री के वर्गों के लिये, मांग इस प्रकार की सामग्री के उत्पादन अथवा संभरण से व्यापक रूप

से अधिक है, तो एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की सेवायें, इस प्रकार की सामग्री [redacted] के सृजन के लिये आवश्यक नहीं होंगी, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिये इस प्रकार की सामग्रियों के विक्री हेतु, कम्पनी द्वारा एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

1. चीनी
2. वनस्पति

[सं० फा० 11/33/80-सी०एल० (XI)]

एस० एम० डूगर, सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

COMPANY LAW BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1980

G.S.R. 518(E).—In continuation of notification No. G.S.R. 484(E) dated 5th September, 1975 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 294AA of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 343(E) dated the 24th June 1975, the Company Law Board, being of the opinion that the demand for the categories of goods specified below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the sole selling agents, will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that sole selling agents shall not be appointed by a company for the sale of such goods for a further period of five years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

1. Sugar
2. Vanaspati

[F. No. 11/33/80-CL.XI]

S. M. DUGAR, Member, Company Law Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.